डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. HQ/PIO/RTI/251/15

Date: 17.08.2015

ED 85949867 5 IN

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
हयातपुर बझेड़ा डाकखाना भॉकरी,
निरंजन कोट पर. व तह. कोल, अलीगढ,
उ.प्र.

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref.: Your application dt. Nil, received in this office on 07.07.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:–

क्रम सं.1:– प्रार्थना पत्र दिनांक – 16.03.2012 के सम्बंध में कृत कार्यवाही इस प्रकार है कि गाटा संख्या 129 व 185 में अधिग्रहित भूमि सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) अलीगढ़ द्वारा भूमि की अर्बीट्रेशन एवार्ड दिनांक 29.03.2012 के अनुसार दर 570 रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर दिया गया। तथा द्वितीय अधिग्रहण दिनांक 11.05.2012 के क्रम में 638/– रू. प्रति वर्ग मीटर के अनुसार प्रतिकर वितरण किया जा चुका है।

आप द्वारा अपने आवेदन पत्र में के क्रम में रेलवे विभाग में नौकरी तथा 2000 रू. प्रति वर्ग मीटर के अनुसार भूमि के मुआवजे की मॉग की गयी थी, जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है।

आप द्वारा अपने गाटा 185 के क्रम में अपनी भूमि दो भागों में बट जाने के कारण सिंचाई हेतु पुलिया व नाली की व्यवस्था हेतु मांग की गयी थी। चुकि रेल परियोजना द्वारा पुलिया ALG-19 रास्ते पर प्रस्तावित होने के कारण दूसरी पुलिया गाटा संख्या–185 पर जो की मात्र 50–55 मीटर की दुरी है, तकनीकी रूप से विचारणीय नहीं है।

क्रम सं.2:– प्रार्थना पत्र दिनांक – 07.10.2013 के क्रम में की गयी कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रार्थना पत्र में आपत्ति क्रम संख्या–01 लगायत 04 में आपठनीय होने के कारण वस्तुस्थिति के सन्दर्भ में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका। पुनः पठनीय/स्पष्ट प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरांत वस्तुस्थिति के सन्दर्भ में कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

क्रम सं.3:– प्रार्थना पत्र दिनांक – 23.05.2014 के क्रम में की गयी कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रार्थना पत्र में आपत्ति क्रम संख्या –01 लगायत 04 में आपठनीय होने के कारण वस्तुस्थिति के सन्दर्भ में कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका। पुनः पठनीय–स्पष्ट प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरांत वस्तुस्थिति के सन्दर्भ में कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।

ED 85949866 7 IN

क्रम सं.4:– प्रार्थना पत्र दिनांक – 13.10.2014 के क्रम में की गयी कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि क्रम में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक के पत्रांक DFCC/DY.CPM/Engg/ALJN/Grie/Letter Dated-30.04.2015 व सन्दर्भ संख्या HQ/PG/TDL/1/2015 Dated-12.02.2015 के क्रम में जबाव प्रेषित किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न है)

क्रम सं.5:– खेत गाटा संख्या 185 में एक पुलिया या पाइप लाइन की सिंचाई सुविधा हेतु मांग की है। यह की गाटा संख्या 185 से 50 से 55 मीटर दुरी पर रेल परियोजना द्वारा रास्ते पर RUB पुलिया का निर्माण किया जाना है, जिसके अन्दर सिंचाई सुविधा हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इस सुविधा से सिंचाई के लिए आप के साथ–साथ अन्य ग्रामवासियों को भी लाभ मिलेगा। लेकिन आप द्वारा एकदम खेत पर पुलिया/सिंचाई सुविधा की मांग की जा रही है, जा व्यक्तिगत है, इस प्रकार सिंचाई सुविधा रेल परियोजना द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः आपके खेत गाटा संख्या 185 पर पुलिया एवं अन्य पाइप लाइन की सुविधा रेल परियोजना द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Tundla